न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 06/2016 दायर दिनांक 25.07.2016

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. कृष्णकुमार उर्फ अजीत पुत्र अशोक जाति सहरिया निवासी कलोनियां तहसील शाहबाद जिला–बारां (नाबालिग) जर्ये संरक्षण माँ सत्तोबाई पत्नि स्व. अशोक जाति सहरिया निवासी कलोनियां हाल सेमरा तहसील शाहबाद जिला बारां राज.।
2. सत्तोबाई पत्नि स्व. अशोक जाति सहरिया निवासी कलोनियां हाल सेमरा तहसील शाहबाद जिला बारां।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. भोलाराम पुत्र बृजलाल जाति सहरिया निवासी कलोनियां तहसील शाहबाद जिला बारां।
2. सुमन्त्रा पुत्री बृजलाल जाति सहरिया निवासी कलोनियां तहसील शाहबाद जिला बारां राज.
3. तुलसां पत्नि स्व. बृजलाल जाति सहरिया निवासी कलोनियां तहसील शाहबाद जिला बारां राज.
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां – राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री अरविन्द्र वर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय दिनांक 24.03.2022

अपील विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 739 दिनांक 20.05.2015 ग्राम छिछरोनी

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध दिनांक 20.05.2015 ग्राम छिछरोनी को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई। छिछरोनी पटवार हल्का केलवाडा तहसील शाहबाद में अपीलान्ट क्रम 1 के पिता एवं अपीलान्ट क्रम 2 के ससुर बृजपाल पुत्र किशोरया जाति सहरिया निवासी कलोनियां तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान के खाते में खसरा नम्बर 128/417 की 10.00 बीघा भूमि स्थित थी। अपीलान्ट क्रम 1 के पिता एवं अपीलान्ट क्रम 2 के पति अशोक जो उक्त भूमि के खातेदार बृजलाल पुत्र किशोरया जाति सहरिया निवासी कलोनियां के पुत्र थे का देहान्त बृजलाल के जीवनकाल में ही दिनांक 13.07.2006 को हो गया था खातेदार बृजलाल का देहान्त होने पर [illegible] नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:19 IST
Reason: SelfAttested

सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार केलवाडा द्वारा तस्दीक किया गया जो रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 3 के नाम तस्दीक कर दिया जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है क्योंकि अपीलान्टस् मृतक खातेदार बृजलाल के पूर्व मृत सगे पुत्र अशोक के पुत्र एवं विधवा होने के कारण हिन्दू उक्त आराजी में रेस्पोडेण्ट के समक्ष हिस्सा प्राप्त करने के हकदार है इस तरह प्रश्नगत नामान्तरकरण पर पारित आदेश प्रचलित विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेण्ट के साथ साथ अपीलान्ट के नाम भी नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था इस तथ्य से सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय भली भांति परिचित था कि अपीलान्टस् भी मृतक बृजलाल के वैधानिक वारिस है इस तरह सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अपीलान्ट क्रम 1 नाबालिग है जो अपनी मां अपीलान्ट क्रम 2 के संरक्षण में रह रहा है अपीलान्ट क्रम 2, अपीलान्ट क्रम 1 की वैधानिक एवं प्राकृतिक संरक्षक होने से अपने नाबालिग पुत्र की संरक्षक की हैसियत से यह अपील प्रस्तुत कर रही है। उक्त नामान्तरकरण अपीलान्टस् को कोई सूचना दिये बिना, खोला जाकर तस्दीक किया गया है जिसकी अपीलान्टस् को कोई जानकारी नही थी अपीलान्टस् को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.07.2016 को पटवारी हल्का केलवाडा से नकल लेने पर हुई है। धारा मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों पर डिले कन्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.12.2015 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि नामान्तरकरण संख्या 739 दिनांक 20.05.2015 को तस्दीक करते समय ग्राम छिछरोनी पटवार हल्का केलवाडा तहसील शाहबाद में अपीलान्ट क्रम 1 के पिता एवं अपीलान्ट क्रम 2 के ससुर बृजलाल पुत्र किशोरया जाति सहरिया निवासी कलोनियां तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान के खाते में खसरा नम्बर 128/417 की 10.00 बीघा भूमि स्थित थी। अपीलान्ट क्रम 1 के पिता एवं अपीलान्ट क्रम 2 के पति अशोक जो उक्त भूमि के खातेदार बृजलाल पुत्र किशोरया जाति सहरिया निवासी कलोनियां के सगे पुत्र थे का देहान्त होने पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सम्मानीय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार केलवाडा तस्दीक किया गया जो रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 3 के नामतस्दीक कर दिया जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है क्योंकि अपीलान्टस् मृतक खातेदार बृजलाल के पूर्व मृत सगे पु[illegible]के कारण हिन्दू उत्तराधिकारी होने से, उक्त आराजी में रेस्पोडेण्ट के समक्षक हिस्सा प्राप्त [illegible] है। अपीलान्ट क्रम 1 व 2 के पिता, पति की मृत्यु हो चुकी है। जिसके [illegible] उक्त व[illegible]आराजीयात में रकबा 10 बीघा भूमि अपीलान्ट क्रम 1 व 2 के नाम भी दर्ज की जान[illegible] अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रश्नगत नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज कर दी। जबकि अपीलान्ट भी रेस्पोडेण्ट के समकक्ष के हकदार है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 739 ग्राम छिछरोनी निर्णय दिनांक 20.05.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट क्रम 1 व 2 के विधिक वारिसान की विस्तृत जांच कर पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तकरण दर्ज कराकर निर्णित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया ।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:19 IST
Reason: SelfAttested